राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 383/2025 प्रा0पत्र

अनवान

01. लक्ष्मी पुत्री देवी सिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर हाल निवासी पत्नि दयालसिंह जाति रावत निवासी सारोठ तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।
02. इन्द्रा चौहान पुत्री देवीसिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर हाल निवासी पत्नि पृथ्वीराजसिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
03. मंजू कुमारी पुत्री देवीसिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर हाल निवासी पत्नि भानूप्रताप सिंह जाति रावत निवासी कालेपुरा पोस्ट वाया बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
04. रसीला कुमारी पुत्री देवीसिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
05. किरण कुमारी पुत्री देवीसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी घाटा दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

वादीगण /—

:: विरुद्ध ::

01. मनोहरसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
02. हीरासिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
03. मिठुदेवी पत्नि स्व. देवीसिंह जाति रावत निवासी घाटा दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
04. राजस्थान सरकार उप पंजीयक दिवेर जिला राजसमंद।
05. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार दिवेर जिला राजसमंद।

अप्रार्थीगण /—

पस्थिति :—

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता

अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से कर्णवीर सिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांकः— 13/4/26

प्रार्थी का उक्त धारा से संबंधित प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। प्रकरण प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 के पिता एवं 03 के पति स्व. देवीसिंह पिता सेसासिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा दिवेर, पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द में स्थित निम्न वर्णित कृषि भूमि स्थित है किः—

खाता नम्बर	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1314	528	0.0486	बंझड़
	529	0.0728	चाही1
	530	0.0324	बारानी1
	531	0.2023	बारानी1
	532	0.1376	बंझड़

Scanned with OKEN Scanner

	533	0.0182	बारानी1
	534	0.0486	बारानी1
	535	0.0121	बारानी1
	536	0.2671	बंझड़
कुल किता 09 कुल रकबा 0.8397 हैक्टेयर भूमि।			
314	1807	0.0890	चाही2जाव2
	1826	0.0081	चाही1 जाव1
	1827	0.0283	चाही1 जाव1
	1828	0.0121	बारानी1
	1829	0.0243	बंझड़
	1830	0.0809	चाही1 जाव1
	1831	0.0243	चाही1 जाव2
	1832	0.0445	गै.मु.चाह
	1833	0.1538	चाही2जाव2
	1834	0.0243	बंझड़
	1835	0.1133	चाही2जाव2
	1846	0.0809	चाही2जाव2
	1847	0.1174	चाही2जाव2
	1848	0.0809	बारानी2
	1850	0.0283	गै.मु.मकान
	1851मीन	0.0283	बारानी1
	1865	0.2833	चाही2 जाव1
	1866	0.0931	चाही1 जाव1
	1867/5731	0.0405	बंझड़
	2225मीन	5.0747	बंझड़
	2239मीन	0.1052	बारानी1
	2242	0.0931	बारानी2
	2246	0.0243	बारानी2
	2281	0.0344	बारानी2
	2282	0.0486	बारानी2
	2283	0.1902	बारानी2
	2284	0.0121	बारानी2
कुल किता 27 बीघा 6.9382 हैक्टेयर भूमि।			
984	1849	0.0324	बंझड़
कुल किता 01 बीघा 0.0324 हैक्टेयर भूमि।			
1192	4863	0.0567	बंझड़
	501	0.7932	बंझड़
कुल किता 02 बीघा 0.8499 हैक्टेयर भूमि।			

यह है कि उक्त वर्णित आराजियात् पूर्व में देवीसिंह पुत्र सेसासिंह के स्वामित्व व आधिपत्य मे रहीं थी व उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के

Scanned with OKEN Scanner

स्वामित्व मे आइ थी व उक्त भूमि पर हम प्राथीगण एव अप्राथीगण सख्या 01 से 03 साथ शामील मे काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे थे। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के परिवारजन का सजरा निम्न प्रकार से है।

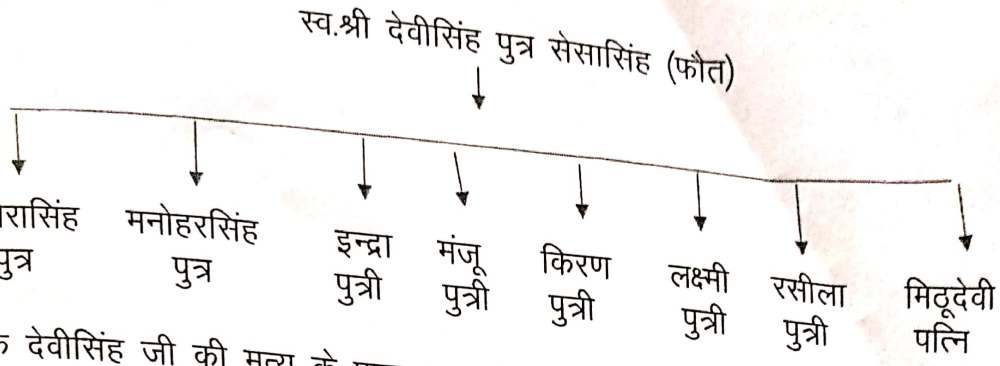

स्व.श्री देवीसिंह पुत्र सेसासिंह (फौत)

↓

हीरासिंह पुत्र	मनोहरसिंह पुत्र	इन्द्रा पुत्री	मंजू पुत्री	किरण पुत्री	लक्ष्मी पुत्री	रसीला पुत्री	मिठूदेवी पत्नि

यह कि देवीसिंह जी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 उनके वारिस होकर उनके उत्तराधिकारी है। यह कि देवीसिंह के वारिसान् हीरासिंह एवं मनोहरसिंह द्वारा गलत तरीके से उनकी बहिनों को नही बताकर मात्र दो पुत्र एवं माता जी ने अपने को ही वारिस बताकर उक्त भूमि अपने नाम बताकर करवा दी है जबकि हिन्दू विधि के अनुसार पुत्रियां भी बराबर की अधिकारीणी है। यह कि उक्त आराजी के खाता नम्बर 1314 में प्रार्थीगण का 5/16 एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 का 3/16 वां हिस्सा तथा वर्तमान खाता नम्बर 314 में प्रार्थीगण का 5/32 एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 का 3/32 वां हिस्सा एवं खाता नम्बर 984 में प्रार्थीगण का 5/144 एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 का 3/144 वां हिस्सा एवं खाता नम्बर 1192 में प्रार्थीगण का 5/16 एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 का 3/16 वां हिस्सा इस प्रकार से हिस्सा होना चाहिये था। यह है कि उसके बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 ने मिलीभगत करते हुए हमारे पिता जी देवीसिंह की मृत्यु हो जाने के कुछ महीने बाद हमारे पिता जी के हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को ही वारिस बताकर उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 अपने नाम पर करवा दिया है जबकि हम प्रार्थीगण देवीसिंह जी की जायन्दा दो पुत्रीया होकर उनकी भी उतराधिकारी एवं वारिस हूँ। यह कि इस प्रकार से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 ने पूर्णतया फर्जी बनावटी कूटरचित सजरा तैयार करवाते हुए प्रार्थीगण को देवीसिंह की पुत्रीयां नही बताकर दो पुत्र एवं पत्नि बताकर उनके हिस्से को अपने नाम पर करवाकर पूर्णतया गलत कृत्य किया है। यह है इस प्रकार से प्रार्थीगण अपने पिता देवीसिंह की जायन्दा पुत्रीयां है व उनके हिस्से की वो भी वारिस उत्तराधिकारी होकर उनके जमीन की एकमात्र मालिक है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 ने गलत तरीके से बिना अपने हिस्से का पूरा नही होते हुए प्रार्थीगण के हिस्से को भी मिलाते हुए गलत तरीके से हिस्से दर्ज करवाकर बेचान करने पर आमादा हो रहे है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 का उक्त भूमि का इतना हिस्सा नही बनता है क्योकि प्रार्थीगण देवीसिंह की पुत्रीयां होकर मालिक है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के द्वारा उक्त भूमि को बेचान करते है या रहन बख्शीस करते है तो तथाकथित विक्रय विलेख अवैध शून्य (Null and Void) होकर शून्य एवं प्रभावहीन माना जायेगा। यह कि अब उक्त वर्णित आराजियात् में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 द्वारा उक्त भूमि उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के हिस्से पर सम्पूर्ण कब्जा किया जाने की कोशिश की जा रही है ऐसी स्थिति में उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहीत में आवश्यक हो गया है कि जब तक विधि सम्मत तरीके से रिकॉर्ड हिस्सेनुसार प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही हो जाता है तब तक उक्त वर्णित आराजियात् में किसी भी प्रकार से कब्जा नही करे न ही किसी भी हिस्से एवं भू–भाग पर कब्जा नही करे न ही अन्य से करावे तथा उक्त भूमि का दौराने दावा अप्रार्थीगण संख्या 04 किसी भी प्रकार से जमाबन्दी में रद्दोबदल नही करे व न ही अन्य से करावे व

अप्रार्थीगण 05 उक्त आराजियात् मे कोई पंजीयन हेतु दस्तावेजात् पेश करने पर उसका पंजीयन नहीं करे। यह कि प्रार्थीगण अधिकारी है कि अपने पिता देवीसिंह के उक्त वर्णित आराजियात् में आये हिस्से की भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित हो व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे प्रार्थीगण के आने वाले हिस्से को किसी भी प्रकार उक्त वर्णित आराजियात् को विक्रय रहन, बख्शीस खुर्द–बुर्द नही करे व प्रार्थीगण के हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास स्वयं एवं नौकर एजेन्ट या अपने परिवारजन से नही करे व न ही अन्य से करावे। व मौके पर व रिकोर्ड मे यथावत स्थिति बनाई रखी जावे।

यह कि वाद कारण दिनांक 24/09/2025 को पैदा हुआ जब प्रार्थीगण अपनी पिता जी की जमीन की नकल लेने गई तो पता चला कि मेरे नाम पर तो अपने पिता की उक्त भूमि अपने नाम पर नही आई है व उक्त भूमि तो अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 द्वारा उक्त भूमि को गलत तरीके से हमारे हिस्से को भी उक्त भूमि का विक्रय विलेख बेचान करने पर आमादा तथा अपरिचित व्यक्ति मौके पर लाकर उक्त जगह को बताई है तथा कह रहे है हम तो उक्त भूमि को बेचेंगे इस प्रकार से वाद कारण निरन्तर उत्पन्न होकर जारी है। प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ताकत के बल पर उक्त भूमि को हड़प लेगे व प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को अन्य व्यक्ति के पक्ष में बेचान कर खुर्द–बुर्द कर देगें तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 येनकेन प्रभावों को बेचान करने पर आमादा हो रहे है जिससे विवाद बढ़ेगा व्यर्थ में मुकदमे बाजी बढ़ेगी जिसकी पूर्ति अर्थ से संभव नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 एवं कलम संख्या 07 में वर्णित के हिस्से अनुसार प्रार्थीगण का नाम जब तक उक्त भूमि में दर्ज नही हो जाता तब तक उक्त भूमि में किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नही करे व कब्जा करने का प्रयास नही करे व अन्य से नौकर एजेन्ट व मजदूरों से ही करावें। जब तक उक्त आराजियात का किसी भी प्रकार से बंटवारा नही हो तब तक अप्रार्थी संख्या 04 कोई रद्धोबदल नही करे एवं खाते में परिवर्तन नही करे व नही किसी भी प्रकार का अमल दरामद करे व अप्रार्थी संख्या 05 उक्त भूमि को किसी भी प्रकार रहन या बेचान बख्शीश नही करे न ही अन्य नौकर एजेन्ट व मजदूरों से ही करावें। अगर दौराने वाद अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 उक्त वर्णित भूमि को बेचान कर भी लिया जाता है तो जरिये आदेशात्मक आज्ञप्ति द्वारा प्रार्थीगण को अपने हिस्से अनुसार कब्जा दिलवाया जावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 17.12.2025 को अप्रार्थीगण की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 17.12.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री कर्णवीर सिंह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 04 एवं 05 द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर पत्रावली बहस हेतु दिनांक को मुकर्रर की गई। प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए गए। अप्रार्थी द्वारा बहस में स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। बहस में अप्रार्थीगणों द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर आपत्ति व्यक्त की।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 ता 03 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता देवीसिंह के नाम दर्ज रही है और उनके बाद प्रार्थीगणों के भाई तथा माता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत पुत्री को वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र को होगा लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज है जो की प्रार्थीया के भाई तथा माता है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है अर्थात वाद भूमि भूमि में सायल का हक हिस्स है या नही उक्त समस्त बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 ता 03 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थीगणों का अप्रार्थीगणों के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी की बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है या नही का निर्धारण मुल वाद में तय होना है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मौजा दिवेर, पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 एवं कलम संख्या 07 में वर्णित के हिस्से अनुसार भूमि में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनायी रखें उल्लंघन तथा एक दूसरे के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य

Scanned with OKEN Scanner

ाये, पक्का निर्माण नही करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे, अप्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड की ति कायम रखे। फर्द अहकाम पृथक से जारी हो।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 13/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

क्रमांकः– कोर्ट/2026/273 दिनांकः– 16/04/26

प्रेषितिः–

तहसीलदार
भीम

विषयः– निर्णय अनुसार पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 383/2025 इ.पत्र अनवान लक्ष्मी D/o देवीसिंह वगै. निवासी धारा दिवेर बनाम मनोहरसिंह S/o स्व. देवीसिंह वगै. निवासी धारा दिवेर में निर्णय दिनांक 13/4/26 हो चुका है। निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। निर्णय अनुसार पालना की जाकर पालना से नियत दिनांक ~~1 माह~~ से पूर्व अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
रीडर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला राजसमंद

Scanned with OKEN Scanner